भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्‍तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 889**

(जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**बैंकिंग क्षेत्र को अनुदेश**

889. श्रीमती झरना दास बैद्य:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को कोई अनुदेश दिया है कि वे अंतर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों से ऋण लेने की बजाय अपने निक्षेपों पर आधारित रहें; और

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)

**(क) से (ख):** जी, नहीं।

\*\*\*\*\*